# न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 43/2021

श्रीमति रईसन बानू पत्नि अब्दुल अजीज, जामा मस्जिद के पास धोबी मोहल्ला, मालपुरा जिला टोंक पिन 304502 राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक

––प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** **दिनांक 9–12–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं कोषाधिकारी टोंक जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 23–08–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

1 प्रार्थिया ने मेडिकल पेंशनर डायरी पीपीओ नं. 867516 क अन्तर्गत संतोकबा दुर्लभजी मोमोरियल अस्पताल जयपुर व फोर्टिज अस्पताल जयपुर में अपनी बीमारी व अपने पति की बिमारी के ईलाज के मद में खर्च की गई राशि 483557 रू का भुगतान चाहने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2021 के साथ मेडिकल बिल संलग्न कर श्रीमान कोषाधिकारी टोंक के समक्ष रजिस्टर्ड डाक (पार्सल) सेवा से दिनांक 27.01. 2021 को प्रेषित किया था। इस संबंध में प्रार्थिया को उक्त मेडिकल बिलों की राशि 483557 रू के भुगतान हेतु कोषाधिकारी टोंक के कार्यालय में की गई संपूर्ण कार्यवाही का तिथिवार क्रमबद्ध विवरण व विवरण से सुंसगत अभिलेख, एवम्

2 उक्त मेडिकल बिलों की राशि 483557 रू के भुगतान के लिये कोषाधिकारी टोंक द्वारा पारित विनिश्चय, एवम्

3 उक्त मेडिकल बिलों के भुगतान हेतु कोषालय टोंक में उक्त मेंडिकल बिल प्राप्त होने की तिथि से लेकर भुगतान किये जाने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही की संपूर्ण पत्रावली एवंम्

4 उक्त मेडिकल बिलों की कुल राशि 483557 रू का भुगतान चाहा गया था, जबकि राशि 326000 रू का ही भुगतान किया गया है। प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत मेंडिकल बिलों में कौन कौन से मद की कितनी राशि को कोषालय टोंक ने भुगतान योग्य नहीं माना है, का संम्पूर्ण विवरण।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना ... नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपील ... लोक सूचना अधिकारी कोषाधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 1423 दिनांक 23–11–2021 को प्रेषित कर ...

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:58:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक द्वारा पत्र क्रमांकः एफ 1 /2021–22/959 दिनांक 30–11–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को चाही जा रही सुचना के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 898 दिनांक 8–9–2021 से सूचित किया था कि कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करें एंव वांछित सूचना निर्धारित शुल्क जमा करवा कर प्राप्त करें, साथ ही यह भी निवेदन किया है कुल 100 पृष्ठ की सूचना के दो रूपये प्रति पृष्ठ जमा कराने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी।

अपीलार्थी के प्रतिनिधि ने न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रेषित किया एंव मुख्य सूचना आयुक्त राज0 जयपुर के निर्णय दिनांक 7–7–2014 (4318/2012 जितेन्द्र भारती बनाम लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार जयपुर) की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमे निर्णय पारित किया है कि जब लिखित में छाया प्रतियॉ चाही गई है तो उन्हें आंमत्रित कर अभिलेख अवलोकन करने का अनुरोध करने पर विधि सम्मत नहीं हैं। साथ ही अपील संख्या 2234/2012 जितेन्द्र भारती बनाम उपायुक्त जोन–10 जयपूर विकास प्राधिकरण जयपुर के निर्णय दिनांक 26–6–2013 की प्रति प्रस्तुत की जिसमें भी अंकित किया गया है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी को यह बताना होगा कि आवेदित सूचना के कितने पृष्ठ बनते है एंव 2/रूपये प्रति पृष्ठ या बढ़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत की मांग आदि के बाबत विस्तार से बताना होगा। अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार कर वांछित सूचना निःशुल्क दिलवाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली एंव प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, पत्राधि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक द्वारा अपीलान्ट को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव कोषाधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना निर्णय की प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। अपीलार्थी को सूचित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:58:36 IST
Reason: SelfAttested